

फा.सं. 13-3/2021-22/सा.प्र
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली


18 जुलाई 2022

परिपत्र

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक सार्वजनिक सूचना के तहत 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं को नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया है:

| क्र.सं. | मद का नाम | क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|---|---------|--|
| 1. | प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयरबड | 2. | गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें |
| 3. | प्लास्टिक के झंडे | 4. | कैंडी की छड़ें |
| 5. | आइसक्रीम स्टिक | 6. | सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन (थर्मोकोल) |
| 7. | प्लेट्स | 8. | कप |
| 9. | चश्मा | 10. | कांटे |
| 11. | चम्मच | 12. | चाकू |
| 13. | स्ट्रॉ | 14. | ट्रे |
| 15. | मिठाई के बक्कों के चारों ओर फिल्म लपेटना/पैक करना | 16. | निमंत्रण पत्र |
| 17. | सिगरेट के पैकेट | 18. | प्लास्टिक / पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम |
| 19. | स्टाइरर्स | | |

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के आलोक में नीपा के सभी कर्मचारियों को उपर्युक्त मदों के उपयोग से हतोत्साहित किया जाता है।


18.7.2022

(डी.एस. ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

सभी संकाय / कर्मचारी / शोध छात्र

नीपा स्टाफ क्वार्टर के सभी निवासी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक सूचनार्थ
3. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सहायक - रिकॉर्ड के लिए
4. सभी नोटिस बोर्ड
5. सिस्टम एनालिस्ट - परीपत्र को नीपा की वेबसाइट - स्टाफ कॉर्नर पर अपलोड करने के लिए
6. एनएएसी समन्वयक
7. आईक्यूएसी